संख्या:45/2015/656जेएल/22-3-15-100(18)/2015

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2015***

विषय: जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सागर मलिक पुत्र श्री सुरेश, निवासी जनपद-शामली को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-6200/सामा-1(3)/03-मेरठ मं0/2011, दिनांक 26-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में गयी संस्तुति एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी अनुमति तथा उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सागर मलिक पुत्र श्री सुरेश को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, वाराणसी में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:45/2015/656जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर/वाराणसी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in